न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 52/2007 G.C.M.S. No. 2007/00025 दर्ज दिनांक : 18.06.2007

अपीलार्थी:

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मृत किशना पुत्र पीथा कौम मेणा साकिन बिठूड़ा
2. देवा पुत्र ओटा के कायम मुकामः–
   2/1 रामलाल
   2/2 मोहनलाल
   2/3 तुलसाराम पुत्रगण देवाजी, जाति चौधरी, साकिन चाणोद, तहसील व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा मुकदमा नंबर 04/2002 बअनवान सरकार बनाम किशना वगैरह में पारित आदेश दिनांक 07.07.2006 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. राजकीय पैरोकार, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. रेस्पोंडेंट संख्या 1 अनुपस्थित।
3. श्री लक्ष्मण के. चौधरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 2

निर्णय

दिनांक: 29.09.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा मुकदमा नंबर 04/2002 बअनवान सरकार बनाम किशना वगैरह में पारित आदेश दिनांक 07.07.2006 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि वादी अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का जरिये भूमिधारी तहसीलदार राजस्थान सरकार की ओर से उपखंड अधिकारी सुमेरपुर के न्यायालय में विरूद्ध अप्रार्थीगण किशना व देवा के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि राजस्व अभियान के दौरान प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकर्ड की जांच की गई एवं मौके की स्थिति का जायजा लिया गया। जिसमें यह पाया गया कि गांव चाणोद की प्रार्थना पत्र में तालिका में अंकित खसरा नंबर की भूमि पर जो कि अप्रार्थी प्रतिवादी किशना पुत्र पीथा की खातेदारी भूमि जोकि जाति से मेणा होने से जनजाति का सदस्य है। उक्त भूमि पर कब्जा देवा पुत्र ओटा एवं उनके वारिसान का है। उक्त भूमि उक्त देवा पुत्र ओटा को हस्तांतरण होने की जानकारी हुई हैं, इसकी

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

जाति सिरवी है। हस्तांतरण की बतौर सबूत मिसल बंदोबस्त व खतौनी 2031 से 2034 खाता संख्या 280 पेश की। साथ ही निवेदन किया कि उपरोक्त हस्तांतरण खुद काश्त हेतु दिया जाना धारा 42 बी व 46 ए आर.टी. एक्ट के प्रावधानों के विपरीत होने से एक कानूनन अवैध होने से अप्रार्थीगण प्रतिवादी के खिलाफ उपरोक्त भूमि पर से बेदखली का आदेश प्रदान करावें व कब्जा राज्य सरकार लिये जाने का आदेश फरमावें। जिसे दर्ज किया जाकर सुनवाई हेतु रखा गया, बाद तामील दौराने सुनवाई अप्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र दिनांक 14.01.1987 का पेश किया। जिसमें प्रतिवादी किशनाराम के विरूद्ध दावा (प्रार्थना पत्र) पेश किया गया है, लेकिन किशना की मृत्यु हो चुकी हैं। अतः मृतक व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती, जो कानूनन चलने योग्य नहीं होने से अवैध किये जाने का निवेदन किया। पुनः एक प्रार्थना पत्र दिनांक 18.03.2005 को बाबत एबेटमेंट पेश किया एवं निवेदन किया कि कानूनन यह दावा एबेट होने से खारिज किया जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 07.07.2006 को सुनवाई कर उक्त वाद एबेट हो जाने से सव्यय खारिज किया एवं तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब के आदेश दिए। जोकि सर्वथा न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई कि अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया एवं न ही प्रार्थी द्वारा दौराने बहस बताये गये तथ्यों का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इसके अतिरिक्त उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 175 आर.टी. एक्ट दिनांक 07.06.1983 को पेश किया गया, जिसके तहत जारी नोटिस किशना पुत्र पीथा जाति मेणा के नाम पर जो हल्फीया रिपोर्ट आई हैं, वह काट–छांट युक्त है एवं अपने आप में अस्पष्ट है। साथ ही उक्त प्रार्थना पत्र का अंतिम तौर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निपटारा किया गया है। लेकिन आदेश दिनांक 07.07.2006 को पढ़ने मात्र से ही यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र आदेश पारित करने की खानापूर्ति की हैं। इसके अतिरिक्त अपीलांट प्रार्थी ने अक्टूबर 2006 में पदेन तहसीलदार का कार्यभार ग्रहण किया है एवं तब से ही तहसील सुमेरपुर में किसानों द्वारा कृषि भूमि की सिंचाई हेतु पानी के लिये आंदोलन लंबे समय तक किया गया एवं जवाई नहर के पानी की पाण की व्यवस्था में काफी समय व्यतीत हुआ एवं उक्त आदेश की अपील करने के लिए इजाजत प्राप्त करने में समय लगने के कारण अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 05.03.2007 को नकलें प्राप्त करने पर हुई। तत्पश्चात उक्त अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार हैः—

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 रेस्पोंडेंट संख्या 1 किसना को मृत अंकित करते हुए मृतक के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जो अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 02.08.1983 को प्रकरण संख्या 235/1983 (नवीन प्रकरण संख्या 04/2002) दर्ज होकर निर्णय दिनांक 07.07.2006 को इस आधार पर खारिज किया गया कि प्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा मृतक के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा मृतक के विधिक वारिसान को लगभग 22 वर्ष तक अवसर देने के बावजूद रेकर्ड पर लेने के लिए कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं करने के आधार पर पैरोकार सरकार की अत्यंत ही गंभीर लापरवाही का अंकन करते हुए प्रस्तुत दावा चलने योग्य व परिपोषणीय नहीं होने के आधार पर नये सिरे से विधिनुरूप पुनः दावा पेश करने का विकल्प प्रदान करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2006 द्वारा खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 07.04.2007 को विलंब के साथ प्रस्तुत की। अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार द्वारा अक्टूबर 2006 में कार्यभार ग्रहण किया, तब से तहसील सुमेरपुर में पानी के लिए किसानों द्वारा लंबे समय से आंदोलन करने तथा कानून व्यवस्था आदि में व्यस्त होने से विलंब हुआ। जो सद्भाविक व युक्तियुक्त है। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।
2. हमारे विनम्र मत में चूंकि प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं कर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसके लिए उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। अतः विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

3. अपील मीमो के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा रेस्पोंडेंट किसना पुत्र पीथा तथा देवा पुत्र ओटा के कायम मुकाम रामलाल वगैरह के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2006 के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट प्रतिवादी किसना का निर्णय व डिक्री में मृत होना अंकित है। अर्थात अपीलांट तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा मृतक के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 2 द्वारा यह उज्र लिया गया कि अपीलांट द्वारा मृतक के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की हैं। जो विधिविरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट का दावा इस आधार पर खारिज किया गया कि अपीलांट वादी द्वारा मृतक किसना के कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की तथा दावा जरिये अबेटमेंट खारिज किया गया।

5. अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 02.08.1983 को प्रकरण संख्या 235/1983 (नवीन प्रकरण संख्या 04/2002) दर्ज होकर निर्णय दिनांक 07.07.2006 को इस आधार पर खारिज किया गया कि प्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा मृतक के विरूद्ध दावा प्रस्तुत किया तथा मृतक के विधिक वारिसान को लगभग 22 वर्ष तक अवसर देने के बावजूद रेकर्ड पर लेने के लिए कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं करने के आधार पर पैरोकार सरकार की अत्यंत ही गंभीर लापरवाही का अंकन करते हुए प्रस्तुत दावा चलने योग्य व परिपोषणीय नहीं होने व दावा अबेट हो जाने के आधार पर नये सिरे से विधिनुरूप पुनः दावा पेश करने का विकल्प प्रदान करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2006 द्वारा खारिज किया गया।

6. विद्वान राजकीय अभिभाषक को न्यायालय द्वारा प्रकरण में मृतक के विधिक वारिसान को रेकर्ड पर लाने के लिए आवश्यक विधिक कार्यवाही करने के लिए बार–बार निर्देशित किया गया, जिस पर विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा न्यायालय को अवगत करवाया गया कि तहसीलदार सुमेरपुर को उनके द्वारा दूरभाष पर बार–बार निवेदन करने के बावजूद न तो तहसीलदार द्वारा कायम मुकाम की सूची पेश की जा रही हैं तथा न ही तहसीलदार या उनका कोई मातहत कर्मचारी द्वारा आज दिनांक तक उनसे संपर्क किया गया। ऐसी स्थिति में राजकीय अभिभाषक अग्रिम कार्यवाही करने के लिए मजबूर है।

7. प्रकरण वर्ष 2007 से न्यायालय हाजा में मृतक रेस्पोंडेंट संख्या 1 किसना के कायम मुकाम में नियत होने तथा लगभग 18 वर्ष गुजर जाने के बावजूद तथा प्रकरण में अनेकानेक अवसर देने के बावजूद एवं राजकीय अभिभाषक द्वारा भी तहसीलदार सुमेरपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

को सूचित करने के बावजूद प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं करने से न्यायालय हाजा द्वारा नोटिस क्रमांक रा.अ.अ./रीडर/2025/528 दिनांक 11.07.2025 तहसीलदार सुमेरपुर को जरिये ई–मेल व डाक प्रेषित करते हुए प्रति श्रीमान निबंधक महोदय राजस्व मण्डल एवं जिला कलक्टर पाली को भी प्रेषित की गई। लेकिन इसके बावजूद प्रकरण में तहसीलदार सुमेरपुर की ओर से न तो तहसीलदार स्वयं या उनका कोई मातहत कार्मिक उपस्थित हुआ तथा न ही प्रकरण में कायम मुकाम के संबंध में कोई कार्यवाही की गई।

8. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मृतक के विरूद्ध कोई भी विधिक कार्यवाही संस्थापित या निष्पादित नहीं की जा सकती। हस्तगत प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 प्रतिवादी किसना अधीनस्थ न्यायालय में विचारण के दौरान ही फौत हो चुका था तथा अधीनस्थ न्यायालय में लगभग 22 वर्ष तक तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा कायम मुकाम संबंधित कोई कार्यवाही नहीं करने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये अबेटमेंट दावा खारिज किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में ही प्रतिवादी किसना मृत अंकित है। तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा इसके बावजूद मृतक के कायम मुकाम को पक्षकार संयोजित नहीं करते हुए मृतक के विरूद्ध ही हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई तथा अपील प्रस्तुत करने के लगभग 18 वर्ष के दीर्घकाल तक मृतक के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। जबकि इस संबंध में न्यायालय हाजा द्वारा भी तहसीलदार सुमेरपुर को व्यक्तिगत रूप से नोटिस प्रेषित करते हुए व्यक्तिगत रूप से भी आगाह किया था।

9. तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा लगभग 22 वर्ष तक अधीनस्थ न्यायालय में तथा लगभग 18 वर्ष तक न्यायालय हाजा में बावजूद जानकारी के एवं न्यायालय द्वारा संज्ञान में लाने के बावजूद प्रकरण में अत्यंत लापरवाही, राजकीय पैरोकारी के प्रति गंभीर उदासीनता का परिचय दिया है। हस्तगत प्रकरण आरंभ से ही मृतक के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ है। जो विधिनुरूप अनुमत व पोषणीय नहीं हैं तथा तहसीलदार सुमेरपुर को पर्याप्त व अनेकानेक अवसर देने के बावजूद मृतक के कायम मुकाम की कोई कार्यवाही नहीं करने से हस्तगत अपील अबेट हो चुकी हैं। प्रकरण में अबेटमेंट को सेटअसाईड करवाने के लिए भी अपीलांट द्वारा आज दिनांक तक कोई प्रार्थना पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया है। तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा दीर्घकाल तक न्यायालय हाजा द्वारा अनेकानेक बार दिए गए अवसर व निर्देशों की अनुपालना नहीं की हैं। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण अदम तकमील की श्रेणी में भी आता है। अतः हमारे विनम्र मत में प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

बिना अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलाण्ट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मृतक के विरूद्ध प्रस्तुत करने, लगभग 18 वर्ष तक न्यायालय हाजा द्वारा पर्याप्त व अनेकानेक अवसर देने के बावजूद मृतक रेस्पोंडेंट संख्या 1 किसना के कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं करने, अपीलांट द्वारा दीर्घकाल तक न्यायालय हाजा द्वारा अनेकानेक बार दिए गए अवसर व निर्देशों की अनुपालना नहीं कर अदम तकमील करने से अपील अपीलांट पोषणीय नहीं होने, अपील अबेट हो जाने तथा अदम तकमील होने से इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर व पदेन पैरोकार सरकार की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में सरकार की ओर से वर्ष 1983 में दावा प्रस्तुत करने व न्यायालय हाजा में वर्ष 2007 में हस्तगत अपील प्रस्तुत करने से निरंतर गंभीर उपेक्षा व लापरवाही की गई हैं तथा इससे सरकार की ओर से प्रस्तुत प्रकरणों में पैरोकार की ओर से की जा रही औपचारिकता व गंभीर उदासीनता प्रकट होती हैं। जिसमें सुधार की तत्काल आवश्यकता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि श्रीमान निबंधक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर, जिला कलक्टर पाली, उपखंड अधिकारी व तहसीलदार सुमेरपुर को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखित दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **29.09.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner